② ⑥ (XII) 139

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर।
(जयपुर विकास प्राधिकरण, भवन)

क्रमांक :भू०अ/नविआ/91। दिनांक 25-7-91

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में भूमि अवाप्ति बाबत(पृथ्वी राज नगर योजना)

- - -

मुकदमा संख्या
==========
1. 71/88
2. 72/88
3. 74/88

अवार्ड
-:-:-:-:

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एंव आवासन विभाग व्दारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) की धारा 4 (1) के तहत क्रमांक प-6(15)नविआ/87 दिनांक 6-1-1988 का गजट प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र दिनांक 7, जुलाई 1988 को किया गया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी व्दारा 5 ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एंव आवासन विभाग भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प-6(15)नविआ/3/87 दिनांक 28-7-1989 का प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र में जुलाई 31, 1989 को किया गया।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एंव आवासन विभाग व्दारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में अवाप्तिधीन भूमि की स्थिति इस प्रकार बताई गई है :-

- - -

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

	मु.नं.	ख.नं.	रकबा बी.	बि.	नाम खातेदार/हितदार
1.	71/88	59	24 -	05	अलाउद्दीन अहमद खाँ पुत्र अमीनुद्दीन अहमद खाँ हि. 57/97, हरबंश सिंह पुत्र कुंडा सिंह, जगदेव सिंह पुत्र सतवंत सिंह हि. 40/97
	72/88	60	00 -	11	सरदार हरबन्त सिंह पुत्र सरदार कुंडा सिंह, सरदार जगदेव सिंह पुत्र सरदार संतवन्त सिंह सिक्ख
		61	01 -	08	
		62	00 -	11	" " "
		59/302	02 -	05	" " "
			29 -	00	
2.	74/88	70	01 -	01	सरदार हरबंश सिंह पुत्र कुंडा सिंह, जगदेवसिंह पुत्र सतवंत सिंह हि. 1/2, रविन्द्र सिंह पुत्र हजूरा सिंह निहाल कौर पत्नी हजूरा सिंह 1/2 सा. देह
3.	72/88	71	01 -	00	सरदार हरबंश सिंह पुत्र कुंडा सिंह, जगदेव सिंह पुत्र सतवंत सिंह 1/3, रविन्द्र सिंह पुत्र हजूरा सिंह निहाल कौर पत्नी हजूरा सिंह 1/3, अलाउद्दीन अहमद पुत्र अमीनुद्दीन अहमद 1/3सा. देह
4.	71/88	63/2	14 -	04	सरदार हरनेक सिंह पुत्र मस्तान सिंह कौम सिक्ख नि. गोरिया
5.	71/88	63/1	13 -	17	सरदार इकबाल सिंह पुत्र नाहर सिंह सिक्ख
6.	74/88	72	00 -	11	रविन्द्र सिंह पुत्र हजूरा सिंह, निहाल कौर पत्नी हजूरा सिंह 1/2, इकबाल सिंह पुत्र नाहर सिंह 1/4
~~[illegible]~~					
9.	74/88	69/1	14 -	00	सरदार मनदीप सिंह पुत्र हजूरा सिंह जाट सा0देह
10.	74/88	69/2	13 -	06	सरदार रविन्द्र सिंह पुत्र हजूरा सिंह व श्रीमती निहाल कौर पत्नी सरदार हजूरा सिंह सिक्ख सा. देह
		73	26 -	02	रविन्द्र सिंह पुत्र हजूरा सिंह, निहाल कौर बेवा हजूरा सिंह कोम जाट सा. देह 1/2, अलाउदीन अहमद पुत्र अमीनुददीन अहमद 1/2 नवाब लुहारू.
11.	71/88	66	01 -	17	मैथिलीशरण पुत्र भंवर लाल साकिन देह
12.	72/88	68	29 -	02	श्री नारायण पुत्र प्रबोचन्द 1/2 राधेश्याम, मोहन लाल ग्यारसीराम, लालाराम पुत्रान गोविन्दराम 1/2 अहीर सा. देह

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

क्रं·सं·1 मुकदमा सं·74/88,खा·नं·69/1 रकबा 14बीघा:

धारा 6 के गजट नोटीफिकेशन में खा·नं·69/1 रकबा 14बीघा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में श्री मनदीप सिंह पुत्र पूरा सिंह जाति जाट सा0देह के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अंतर्गत खातेदार/हितदारान को दिनांक 9·4·91 को तामील कुनिन्दा व रजिस्टर्ड ए·डी·द्वारा नोटिस जारी किये गये । तामील कुनिन्दा की हस्तीफया रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/हितदार के परिवार के व्यस्क सदस्य को तामील कराया गया । डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार ने नोटिस लेने से इन्कार किया । जो शामिल मिसल है । तत्पश्चात दिनांक 7·5·91 को नवभारत टाइम्स एवं दैनिक नवज्योति समचार पत्र के माध्यम से धारा 9 एवं 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया ।

मनदीप सिंह ने दिनांक 17·6·1991 को क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया क्लेम प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि इस क्षेत्र की भूमि जो नियमों के अंतर्गत यदि आबादी की मानली गई है तो उसका औसत मुआवजा कम से कम 200/-रुपये अर्थात 6,05,000/-(अक्षरे रुपये छः लाख पांच हजार मात्र)प्रति बीघा से कम नहीं हो सकता और यदि इस तथ्य पर आंकलन किया जावे तो जयपुर विकास प्राधिकरण की संदर्भित भूमियों का मुआवजा 200 करोड़ रुपये से भी अधिक,अलावा भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स पेड़-पौधे इत्यादि के मुआवजा राशि के देय होगा ।

दावेदार द्वारा यह निवेदन किया कि खा·नं·69/1 रकबा 14बीघा तथा खा·नं·69/2 में स्थित कूए का मुआवजे का मुआवजा राशि हि· 1/2 पाने का अधिकारी है । जविप्रा का आवासीय योजना सन् 1986 में वैशाली नगर में कम से कम 350/-रु·व·ग·का भूमि का आवंटनकरने की दर निश्चित की गई है । नियमानुसार उक्त भूमि के आसपास की भूमि के आवासीय प्रयोग हेतु काम में लेने पर 400 रुपये प्र·व·ग·लिया जाना तय किया गया है । इसके साथ ही कुल भूमि का 60प्रतिशत भाग प्रयोग में लेने का प्रावधान है । इस प्रकार भूमि की कीमत निम्न प्रकार तय होगी जो कि न्यूनतम दर है:-

प्रतिवर्ग गज न्यूनतम दर	:	300/-रु·प्रति वर्ग गज
विकाश शुल्क कम करने पर	:	40/-रु·प्रति वर्ग गज
		260/-रु·प्रति वर्ग गज

इस प्रकार प्रति बीघा न्यूनतम 60 प्रतिशत भाग काम में लेने पर भूमि की कीमत 1815 वर्गगज ×260/-रुपये प्रति वर्गगज से 4,71,900/-रु· पाने का अधिकारी हूँ ।

पुर्व प्रशासनिक अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

---4

142

प्रार्थी की भूमि ख॰नं॰69/1 रकबा 14बीघा जिसका क्षेत्रफल 42,350** वर्गगज होते है जिसका 40 प्रतिशत 26,940/-वर्गगज कम करने पर शेष 25,410/- वर्गगज रहते है । जिसकी बाजारी दर 260/-रुपये प्रति वर्गगज की दर से रुपये 66,06600/-रु॰पाने का अधिकारी है । मुआवजा राशि की मांग निम्न प्रकार की चाही गयी है:-

1॰ भूमि का मुआवजा राशि	66,06,600॰00
2॰ भूमि ख॰नं॰69/2 मय कुआ का हि0 1/2	1,50,000॰00
3॰ होद का मुआवजा	20, 000॰00
4॰ होदी 4 का मुआवजा	12,000॰00
5॰ नीबू 505 पेडों का मुआवजा	18,68,500॰00
6॰ रेहू के पेड 149 का मुआवजा	3,57,600॰00
7॰ नीम के 3 पेड का मुआवजा	12, 000॰00
8॰ शहतूत के 2 पेड का मुआवजा	4,000॰00
9॰ खेजडी के 12 पेड का मुआवजा	28, 800॰00
10॰ मिटटी का डोला 500"लम्बा व 5 फुट ऊंचा का मुआवजा	12,500॰00
11॰ मिटटी के डोले के उपर पूले 200 का मुआवजा	12,000॰00
12॰ भूमि का समतल करने का व्यय का मुआवजा	50,000॰00
13- भूमि स्ट्रेक्चर एवं पेड पौधे का कुल मुआवजा राशि	91,64,000॰00

प्रार्थी ने केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1-ए) के अनुसार 7 जुलाई,1988 से अवार्ड की तिथि तक 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से मुआवजा राशि पर अतिरिक्त राशि पाने का अधिकारी है । तथा धारा 23(2) के अंतर्गत 30प्रतिशत सोलेशियम एवं धारा 28 एवं 34 के अनुसार 9 प्रतिशत एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात 15 प्रतिशत ब्याज भुगतान तिथि तक पाने का अधिकारी है ।प्रार्थी ने रिजर्व प्राईस पर 1500 व॰ग॰का भूखण्ड व व्यवसाय हेतु एक दुकान रिजर्व प्राईस पर आवंटन की जावे ।

क्रमशः---5

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास न्यास,
जयपुर

क्र·सं· 2 मुकदमा सं० 71/88,72/88,खा·नं· 59,60,61,62,59/302

धारा 6 के गजट नोटीफिकेशन में खा·नं·59 रकबा 24बीघा 0बिस्वा, ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में अलाउद्दीन अहमदखाँ पुत्र अमीनुद्दीन अहमद खाँ हि·57/97,हरबंश सिंह पुत्र कुंडा सिंह,जगदेव सिंह पुत्र सतवन्त सिंह हि·40/97 के नाम दर्ज है । खा·नं·60 रकबा 11 बिस्वा,खा·नं·61 रकबा 1बीघा 0बिस्वा एवं खा·नं·62 रकबा 11 बिस्वा/खा·नं·59/302 रकबा 2बीघा 0बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में श्री सरदार हरबंस सिंह पुत्र सरदार कुंडा सिंह सरदार जगदेव सिंह पुत्र सरदार सतवन्त सिंह के नाम दर्ज है।0खा भूमि खा·नं·

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अंतर्गत खातेदारान/हितदारान को दिनांक 9·4·91 को तामील कुनिन्दा व रजिस्टर्ड ए·डी·द्वारा नोटिस जारी किये गये तामील कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान के परिवार के व्यस्क सदस्य को नोटिस तामील कराये गये । डाकघर की रजिस्टर्ड ए·डी·लौटकर प्राप्त नहीं हुयी है । तत्पश्चात खातेदारान हितदारान को नवज्योति व हिन्दुस्तान टाइम्स समचार पत्र में धारा 9 एवं 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया ।

मनदीप सिंह,अभिभावक द्वारा दिनांक 17·6·91 को सरदार हरबंस सिंह पुत्र श्री कुंडा सिंह,जगदेव सिंह पुत्र सरदार सतवन्त सिंह की ओर से क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें निम्न प्रकार से मुआवजे की मांग की गई है कि इस क्षेत्र की भूमि आबादी मान ली गयी है तो उसका औसत मुआवजा 200/-रु० अर्थात 6,05,000/-रु·प्रति बीघा से कम नहीं हो सकता । प्रार्थी की भूमि खा·नं·59 रकबा 24बीघा 0बिस्वा,खा·नं·60 रकबा 11बिस्वा,खा·नं· 61 रकबा 1बीघा 0बिस्वा,ख·नं·62 रकबा 11बिस्वा,ख·नं·59/302 रकबा 2बीघा 0बिस्वा,ख·नं·70 का हिस्सा 1/2 व ख·नं·71 का हि·1/3 रकबा क्रमशः साढे दस व 6·6 बिस्वा कुल रकबा 29बीघा 17बिस्वा है ।

जयप्रा की वैशाली नगर योजना 1988 में भूमि की दर 300/-रु·प्रति वर्गगज आवंटन दर निश्चित की गयी है । आसपास की भूमि का आवासीय प्रयोग में काम लेने पर 40/-रु·प्रति वर्गगज लेना तय किया गया है । साथ ही कुल भूमि का 60प्रतिशत भाग प्रयोग में लेने का प्रावधान है ।

प्रति वर्गगज न्यूनतम दर	:	300/-रु·प्रति वर्गगज
विकास शुल्क कम करने पर	:	40/-रु·प्रति वर्गगज
		260/-रु·प्रति वर्गगज

९९५

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

इस प्रकार प्रति बीघा न्यूनतम 60प्रतिशत भाग काम में लेने पर भूमि की कीमत 1815×260/-रुपये प्रति वर्गगज से 4,71,900/-रु॰ की मांग की गयी है । प्रार्थी की भूमि खा॰नं॰59,60,61,62,59/302,70,71 कुल रकबा 29बीघा 17बिस्वा अर्थात 90,292 वर्गगज में से 40प्रतिशत के हिसाब से 36,116 वर्गगज कम करने पर शेष रहा क्षेत्रफल 54,076 वर्गगज रहते हैं । जिसकी बाजारी दर 260/-रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब से 1,40,59,760/-रु॰ 9008 की मांग की गयी है ।

	राशि
जमीन की कीमत	1,40,59,760·00
खा॰नं॰61,62 में 6 कमरे कुल क्षेत्र॰ 35×36·9=1291 व॰फु॰	1,29,000·00
एक वाटर टैंक	40,000·00
दो गोदाम स्टोर नाप 36·6·×20	50,000·00
खा॰नं॰70 में 6 कमरे आगे खुला प्लेट फार्म निर्माण कार्य का कुल क्षेत्रफल 760×100	76,000·00
कुआ का मुआवजा	3,00,000·00
खेत में सीमेंट पाईप अण्डरग्राउण्ड 2630फुट प्रति फुट रु॰ 10/-	26,300·00
होदी सिमेन्टके 12 मय 12 वाल्व वाल का कुल मूल्य	24,000·00
होद से पानी कनेक्शन नाली 4×30फुट मय 3 वाल्व वाल्व का मूल्य	3,000·00
भूमि को समतल कराने का व्यय	40,000·00
मिट्टी का डोला 1800फुट 5 फुट ऊंचा का मूल्य	18,000·00
नीबू के 783 पेड का मुआवजा	28,97,100·00
बेर के 124 पेड का मुआवजा	2,97, 600·00

-----7

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

नींबू के 4 पेड का मुआवजा	16,000.00
शहतूत के 4 पेड का मुआवजा	8,000.00
बैर, गोला (कजरी) 120 पेड का मुआवजा	2,40,000.00
खेजड़ी के 37 पेड जिसका मूल्य	88,800.00
बम्बूल के 4 पेड़ का मूल्य	6,400.00
कूपेफूले 300 का मूल्य	18,000.00
आम के एक पेड का मूल्य	25,000.00
	1,83,62,560.00

प्रार्थी केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 अर्थात् 1984 के अन्तर्गत धारा 23(1) के अनुसार दिनांक 7 जुलाई 1988 के अवार्ड की तिथि तक 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से भूमि का मुआवजा राशि की मांग की गयी है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा23(2)के अतंर्गत भूमि की कीमत पर 30 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति चार्जेज एवं अवार्ड के पश्चात् अर्थात केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 28 एवं 34 के अनुसार 9 प्रतिशत एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात् 15 प्रतिशत ब्याज भुगतान तिथि तक की मांग की है। प्रार्थी द्वारा निवास हेतु उक्त योजना में 1500 वर्गगज का भूखंड व व्यवसाय करने हेतु एक दुकान रिजर्व प्राईज पर आवंटन की मांग की गयी है। प्रार्थी द्वारा क्लेम पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी को मुआवजा राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों को भी दिलाया जायें।

क्र.सं. 3 मुकदमा नं0 71/88 खसरा नं0 63/1 रकबा 13बीघा 17बिस्वा.

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में भूमि ख.नं. 63/1 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में सरदार इकबाल सिंह पुत्र नाहरसिंह कौम सिंख के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदार को दिनांक 9-4-91 को तामील कुनिन्दा व रजि0ए0डी0 द्वारा तामील कराने हेतु नोटिस जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हलफीया रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के परिवार के वयस्क सदस्य को नोटिस तामील कराया गया। डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस लेने से इंकार किया जो शामिल मिसल है तत्पश्चात् दिनांक 7-5-91 को नवज्योती व नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से धारा 9 व 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया।

.......8

146

श्री मनदीप सिंह अभिभावक ने श्री इकबाल सिंह की ओर से क्लेम प्रार्थना पत्र दिनांक 17·6·91 को पेश किया । दावेदार द्वारा यह निवेदन किया है कि यदि प्रार्थी की भूमि आबादी मान ली गयी है तो उसका मुआवजा 200/-रु·प्रति वर्ग गज अर्थात 6,05,000·00/-रु· प्रति बीघा पाने का अधिकारी है । तथा प्रार्थी ने निवेदन किया है कि भूमि ख·नं·63/1 रकबा 1 3बीघा 17बिस्वा व ख·नं·72 रकबा 11बिस्वा में 1/4 हिस्सा मुआवजा पाने का अधिकारी है । तथा भूमि का मुआवजा 260/-रु·प्रति वर्गगज अर्थात् 4,71,900/-रु·प्रति बीघा ~~बबकी~~ की दर से पाने का अधिकारी है ।

1· भूमि का मुआवजा	66,59,131·00
2· कुए का मुआवजा हि· 1/2	1,50,000·00
3· दो कमरे 280स्क्वायर फुट जिसका हि· 1/2	14,000·00
4·सीमेंट पाईप अण्डरग्राउण्ड1900 फुट प्रति फुट 10/-रु· हि· 1/2	9,500·00
5· होदी 9 का मूल्य	9,000·00
6· कीनू 147 पेड का मूल्य	10,29,000·00
7· रेड़ू के 100 पेड का मुआवजा	2,40,000·00
8· बेरी गोला (कलमी) 88 पेड का मूल्य	1,76,000·00
9· सफेदा 30 पेड का मूल्य	15,000·00
10· शहतूत 1 पेड का मूल्य	2 ,000·00
11· भूमि समतल कराने का मूल्य	30,000· 00
12· मिट्टी का डोला 1500 फुट 5 फुट ऊंचा का 1/2 भाग	7,500·00
13· कूपे,कूले 500 प्रतिवर्ष प्रत्येक कूला 6×500×10 का 1/2 भाग	15,000·00
	83,56,131·00

प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया है कि धारा 23(1) के अनुसार 7जुलाई,1988 से अवार्ड की तिथि तक 12प्रतिशत की वार्षिक दर से भूमि की मुआवजा राशि पर अतिरिक्त राशि,धारा 23(2) के अंतर्गत सोलेशियम (अनिवार्य अवाप्ति चार्जेज) एवं 28 एवं 34 के अनुसार 9प्रतिशत एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात 15 प्रतिशत ब्याज भुगतान की तिथि तक पाने का अधिकारी है तथा व्यवसाय हेतु एक दुकान व भूखण्ड 1500 वर्ग गज का रियायती प्राईस पर आवंटन किया जावे ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर ... जनाएं
जयपुर

-----9

क्रम सं·4 मुकदमा नं·71/88 ख·नं·63/2 3000

धारा 6 के गजट नोटीफिकेशन में भूमि ख·नं·63/2 रकबा 14बीघा 4 बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में सरदार हरनेक सिंह पुत्र मस्तान सिंह कौम सिक्ख नि·गोरथा के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अंतर्गत तामील कुनिन्दा व रजिस्टर्ड ए डी· द्वारा नोटिस जारी किये गये । तामील कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के परिवार के व्यस्क सदस्य को नोटिस तामील कराए गए । डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार ने नोटिस लेने से इंकार किया जो शामिल मिसल है । तत्पश्चात दिनांक 7·5·1991 को नवभारत टाइम्स एव नेवज्योति समचार पत्र के माध्यम से धारा 9 एवं 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया ।

मनदीप सिंह,अभिभाषक द्वारा हरनेक सिंह की ओर से क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें निवेदन किया कि इस क्षेत्र की भूमि को आबादी माना गया है तो मुआवजा राशि कम से कम 200/-रू· अर्थात 6,05,000·00 रूपये प्रति बीघा से कम नहीं हो सकता । तथा भूमि ख·नं·63/2 रकबा 14बीघा 4बिस्वा व ख·नं·72 का 1/4 हिस्सा अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम है । जविप्रा की वैशाली नगर योजना में 350/-रू·प्रति वर्गगज की दर से आवंटन दर निश्चित की गया है । जविप्रा के नियमानुसार उक्त भूमि के आसपास की भूमि का आवासीय प्रयोग में काम में लेने पर 40/-रू·प्रति वर्गगज लेना तय किया गया है । साथ ही कुल भूमि का 60प्रतिशत भाग प्रयोग में लेने का प्रावधान है । प्रार्थी 260/-रू· प्रति वर्गगज की दर से मुआवजा पाने का अधिकारी है । प्रार्थी को भूमि एवं स्ट्रेक्चर आदि का मुआवजा निम्न प्रकार से किया गया है:-

भूमि का कुल मुआवजा राशि रू·	67,00,960·00
ख·नं·72 रकबा 11बिस्वा का 1/4 मुआवजा·	6,489·00
कुए का मुआवजा राशि का हिस्सा 1/2	1,50,000·00
दो कमरे जिनका रकबा 280स्क्वायर फुट है जिसका हि·1/2 140×100	14,000·00
सीमेंट पाईप अण्डरग्राउण्ड 1900फुट प्रति फुट रू·10/-	9,500·00
9 होदी मय कोयर वाल का हि·1/2	9,000·00
भूमि को समतल कराने का व्यय	30,000·00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

-----10

मिट्टी का डोला 1500 फुट ऊँचा का हिस्सा	7,500.00
कूये, फूले 500प्रति वर्ष प्रत्येक पूला 6×500×10 का 1/2 हिस्सा	15,000.00
कीनू 148 पेड का मूल्य	10,36,000.00
ऐडू के 128 पेड का मूल्य	3,07,200.00
बेरी गोला{कजरी}के 88 पेड का मूल्य	1,76,000.00
सफेदा के 35 पेड का मूल्य	17,500.00
शहतूत का 1 पेड़ का मूल्य	2,000.00
	84,81,169.00

दावेदार द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23{1}के अनुसार दिनांक 7 जुलाई, 1988 से अवार्ड की तिथि तक 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से भूमि को मुआवजा राशि पर अतिरिक्त राशि एवं केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23{2} के अन्तर्गत अनिवार्य अवाप्ति चार्जेज व अवार्ड के पश्चात धारा 28 एवं 34 के अनुसार 9 प्रतिशत एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात 15 प्रतिशत ब्याज भुगतान तिथि तक पाने का अधिकारी है तथा व्यवसाय के लिए एवं आवास के लिए 1500वर्ग गज भूखण्ड व दुकान रिजर्व प्राइस पर आवंटन की जावे ।

क्रम सं० 5 मुकदमा नं० 74/88 खसरा नं0 69/2 व 73

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं० 69/2 रकबा 13बीघा 6बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में सरदार रविन्द्र सिंह पुत्र हजूरासिंह व श्रीमती निहाल कौर पत्नी हजूरा सिंह सिक्ख सा०देह० के नाम दर्ज है । भूमि ख०नं० 73 रकबा 26बीघा 2बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में रविन्द्रसिंह पुत्र हजूरासिंह , निहाल कौर बेवा हजूरासिंह कौम जाट सा० देह० हि० 1/2अलाउद्दीन अहमद 1/2नवाब लुहार के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत दिनांक 9-4-91 को तामील कुनिन्दा व रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा नोटिस तामील करवाये जाने हेतु जारी किए गए । तामील कुनिंदा की हलफीया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान के परिवार के वयस्क सदस्य को नोटिस तामील कराए गए ।

........11/.

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

149

डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार प्राप्तकर्ता बाहर गया हुआ है । तत्पश्चात् धारा 9 एवं 10 के नोटिस नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन कराया गया ।

श्री मनदीप सिंह, अभिभावक ने श्री निहाल कौर पत्नी श्री हजूरा सिंह श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री हजूरा सिंह की ओर से क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिसकी एक प्रति जयपुर विकास प्राधिकरण अभिभावक को दी गयी । दावेदारान द्वारा यह निवेदन किया कि उसकी भूमि अवाप्ति में मानी गयी है तो उसका मुआवजा कम से कम 200/-रु० अर्थात 6,05,000·00 प्रति बीघा से कम नहीं हो सकती ।

प्रार्थी द्वारा भूमि ख·नं·69/2 रकबा 13बीघा 6 बिस्वा हि· 1/2, व श्री रवीन्द्र सिंह हिस्सा 1/2 व कुऐं में बोहिस्सा बराबर, ख·नं·70 रकबा 1बीघा 1बिस्वा का 1/2 जो आबादी में है, ख·नं·72 रकबा 11बिस्वा हिस्सा 1/2, ख·नं·73 रकबा 26बीघा 2बिस्वा में हि· 1/2 व ख·नं·71 रकबा 1बीघा हिस्सा 1/3 के हम मालिक है । इस प्रकार प्रार्थिनी श्रीमती निहाल कौर व रविन्द्र सिंह हिस्सा बराबर बराबर है । जयपुर विकास प्राधिकरण की वैशाली नगर योजना में वर्ष 1985 में 350/-रु० प्रति वर्गगज की दर से भूमि का आवंटन करने की दर निश्चित की गई थी । आसपास की भूमि का आवासीय प्रयोग हेतु काम में लेने पर 40/-रु० प्रति वर्ग गज विकास शुल्क लेना तय किया गया है इसके साथ ही कुल भूमि का 60प्रतिशत भाग प्रयोग में लेने का प्रावधान है । इस प्रकार भूमि की कीमत निम्न प्रकार तय होगी जो कि न्यूनतम दर है:-

प्रतिवर्ग गज न्यूनतम दर	:	300/-रु० प्रति वर्गगज
विकास शुल्क कम करने पर	:	40/-रु० प्रति वर्ग गज
		260/-रु० प्रति वर्ग गज

इस प्रकार प्रति बीघा न्यूनतम 60 प्रतिशत भाग काम में लेने पर भूमि की कीमत 1815 वर्गगज x 260 रूपये प्रति वर्गगज से 4,71,900/-रूपये एवं भूमि ख·नं·69/2,70,72,73,71 में हमारे हिस्से की 27बीघा 9·7बिस्वा है अर्थात 83,087 वर्गगज भूमि में से 40प्रतिशत 33,234 कम करने पर 49,853 वर्गगज शेष रहती है । जिसकी बाजारी दर 260/-रु०प्रति वर्गगज से 1,29,61,780/-रु० पाने का अधिकारी है ।

भूमि की कीमत	1,29,61,780·00
कुआ में ख·नं·69/2 का 1/2भाग की कीमत	1,50,000·00

-----12

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाऐं
जयपुर

150

ख.नं.73 का कुए का हि. 1/2 की कीमत मय साढे सात हार्स पावर मय बिजली पाईप फिटिंग	1,40,000.00
ख.नं.70 में 1/2 में बने मकान का काम डायरेक्ट गैरेज, स्टोर, डेयरी शैड व अन्य में निर्माण क्षेत्रफल 1729 स्क्वायर फिट का मूल्य	1,72,900.00
होदी 9 जिनका मूल्य	18,000.00
अण्डरग्राउण्ड सीमेंट पाईप	9,210.00
पानी के टैंक से ख.नं.70 के मकानों तक का मूल्य	1,500.00
वाटर टैंक नग दो खा.नं.73 व 69/2 में दोनों में हिस्सा 1/2	30,000.00
होदी नग 3 क्षेत्रफल 2.5x2.5x7 गहरी मय कापरवाल मूल्य 1000/-रू. प्रत्येक	3,000.00
खा.नं.73 में मिट्टी का डोला	5,000.00
कुपे, पुले 300 का मूल्य	18,000.00
भूमि समतल का कार्य	40,000.00
खा.नं.69/2 व खा.नं.70 व खा.नं.73 के अपने हिस्से में पेड पौधे, बेरी गोलो, क्यारी के 490 पेड का मूल्य	9,80,000.00
ऐडू 151 पेड का मूल्य	3,62,400.00
खेजडी 6 का मूल्य	14,400.00
बम्बूल 2 का मूल्य	3,200.00
पीपल 3 ईंधन कार्य हेतु	300.00
नीम 21 लकडी के कार्य हेतु	6,300.00
शहतूत 3 पेड का मूल्य	3,000.00
शीशम एक	1,000.00
अमरूद 4 पेड	2,000.00
कटर 1 पेड 3 वर्ष पुराना	1,000.00
	1,49,22,990.00

-----13

दावेदार द्वारा यह निवेदन किया गया कि केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार दिनांक 7 जुलाई, 1988 से अवार्ड की तिथि तक 12% की वार्षिक दर से भूमि की मुआवजा राशि पर अतिरिक्त राशि एवं धारा 23(2) के अंतर्गत मुआवजा राशि पर 30प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति चार्ज एवं धारा 28 एवं 34 के अनुसार 9 प्रतिशत एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात 15प्रतिशत ब्याज भुगतान तिथि तक पाने का अधिकारी है । तथा व्यवसाय हेतु दुकान व आवासीय 1500 व.ग.का भूखण्ड रिजर्व प्राईस पर आवंटन किया जावे ।

श्री मनदीप सिंह ने दिनांक 29-6-91 को खसरा गिरदावरी की फोटो प्रति एवं 7 प्रतियाँ रजिस्ट्रीयों की पेश की तथा लिखित बहस पेश की ।

क्रम सं. 6 मुकदमा नं. 72/88, 74/88, खसरा नं. 73 व 71

धारा 6 के गजट नोटीफिकेशन में खसरा नं. 71 सरदार हरवंशसिंह पुत्र कुंडासिंह जगदेव सिंह पुत्र संतवंत सिंह हि. 1/3 रविन्द्रसिंह पुत्र ~~हजूर~~ हजूरासिंह निहाल कौर पत्नी हजूरा सिंह हि. 1/3 अलाउद्दीन अहमद पुत्र अमीउद्दीन अहमद हि. 1/3 सा.देह. ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में नाम दर्ज है । तथा खसरा नं. 73 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील सांगानेर में ~~जिसके~~ रविन्द्र सिंह पुत्र हजूरा सिंह, निहाल कौर बेवा हजूरा सिंह कौम जाट सा.देह. हि. 1/2 अलाउदीन अहमद पुत्र अमीनउदीन अहमद हि. 1/2 नवाब मुहा. के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 9-4-91 को तामील कुनिन्दा व रजि.ए.डी. द्वारा तामील करवाये जाने हेतु नोटिस जारी किए गए तामील कुनिन्दा की हलफीया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान के परिवार के वयस्क सदस्य को तामील कराया गया । डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार हितदारान /खातेदारान ने नोटिस लेने से इंकार किया जो शामिल मिसल है तत्पश्चात दिनांक 7-5-91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योती समाचार पत्र के माध्यम से धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस का प्रकाशन कराया गया ।

श्रीमती निहाल कौर की ओर से अभिभाषक मनदीपसिंह ने क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि खसरा नं. 73 रकबा 26 बिघा 2बिस्वा में से हिस्सा 1/2 व खसरा नं. 71 रकबा 1 बीघा में से हि. 1/3 कुल भूमि का रकबा 13 बीघा सावेजात बिस्वा अधोहस्ताक्षरकर्त्ता का है ।

जयपुरा की आवासीय योजना हेतु 1988 में वैशाली नगर में कम से कम 350 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से आवंटित करने की दर निश्चित की गई थी । जयपुरा के नियमानुसार उक्त भूमि के आसपास की भूमि आवासिय प्रयोग हेतु

....14.

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

काम में लेने पर 40 रुपये प्रति वर्ग गज विकास शुल्क लेना तय किया है। इसके साथ ही कुल भूमि का 60 प्रतिशत भाग प्रयोग में लेने का प्रावधान है। इस प्रकार भूमि की कीमत निम्न प्रकार तय होगी जो कि न्यूनतम दर है -

प्रति वर्गगज न्यूनतम दर	:	300/-रु॰ प्रतिवर्गगज
विकास शुल्क कम करने पर	:	40/-रु॰ प्रतिवर्गगज

		260/-रु॰

इस प्रकार प्रति बीघा न्यूनतम 60 प्रतिशत भाग काम में लेने पर भूमि की कीमत 1815 वर्गगज ×260 रुपये प्रति वर्गगज से 4,71,900/-रुपये अर्थात चार ~~लाख~~ लाख इकहत्तर हजार नौ सौ रुपये मात्र प्रति बीघा बनती है।

प्रार्थी उक्त दर 4,71,900/-रुपये प्रति बीघा पाने का अधिकारी है। तथा प्रार्थी की भूमि खसरा नं0 73 रकबा 26 बीघा 2बिस्वा में से हिस्सा 1/2 व खसरा नम्बर 71 रकबा 1 बीघा में से हिस्सा 1/3 कुल रकबा 13 बीघा साढे सात बिस्वा जिसकी क्षेत्रफल 40,458 वर्ग गज होते है जिसमें से 40 प्रतिशत के हिसाब से 16,183वर्ग गज कम करने पर शेष क्षेत्रफल 24,275 वर्ग गज रहते है। जिसकी बाजारी दर 260/-रु0 प्रति वर्ग गज की दर से 63,11,500/-रुपये पाने का अधिकारी हूँ।

1-	भूमि खसरा नम्बर 73 रकबा 26बीघा 2 बिस्वा में से हि॰ 1/2 व ख॰नं॰ 71 हि॰ 1/3 कुल रकबा 13 बीघा साढे सात बिस्वा॰	63,11,500/-
2-	स्टेक्चर ख॰नं॰73 रकबा 26बीघा2बिस्वा का 1/2हि॰ख॰नं॰ 73 रकबा 1 बीघा का 1/3 हिस्सा कुल रकबा 13बीघा 7॰5बिस्वा- ख॰नं॰ 73 में बने कुए का 1/2 हिस्सा गहराई 130फुट चौडाई 8 फुट बोरिंग 100 फुट सावित हार्स पावर मोट मय बिजली पाईप फिटिंग-	1,40,000/-
3-	वाटर टैंक का एक 1/2 हिस्सा	10,000/-
4-	अन्डर ग्राउन्ड पाईप लाइन 941फुट	9,410/-
5-	मिटटी का डोला ख॰नं॰ 73 व 1500फुट 5 फुट ऊंचा प्रत्येक फुट 10 रुपये	15,000॰00

15॰॰॰
॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰

Oc

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

6- कुवे कूवे 500 6/- रु की दर के हिसाब से 10 वर्ष का 500×6×10	30,000·00
7- भूमि को समतल कराने पर व्यय	20,000·00
8- होदी 4 नगर 3×3×7 गहरी मय कापरपार्ल 2000×4	8,000·00

पेड़-पौधे :-

1- नींबू 316 पेड़ का मूल्य	11,59,200·00
2- बेहडू के 35 पेड़ का मूल्य	84,000·00
3- पीपल 1 पेड़ जिसका मूल्य	1,000·00
4- नीम का एक पेड़ जिसका मूल्य	1,000·00
कुल योग:-	77,99,110·00

दावेदार द्वारा यह भी निवेदन किया है कि केन्द्रीय अवाप्ति अधिनियम की धारा 23 ﴾1﴿ के अनुसार दिनांक 7 जुलाई 1988 से अवार्ड की तिथि तक 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से भूमि का मुआवजा राशि पर अतिरिक्त राशि पाने का अधिकारी है । तथा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23﴾2﴿ के अन्तर्गत भूमि की कीमत पर 30 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति चार्ज पाने का अधिकारी है तथा अवार्ड के पश्चात अर्थात केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 28 एवं 34 के अनुसार 9 प्रतिशत एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात 15 प्रतिशत ब्याज भुगतान तिथि तक पाने का अधिकारी है । तथा व्यवसाय के लिए एक दुकान व आवास हेतु 1500 वर्गगज का भूखण्ड रिजर्व प्राइज पर आवंटित करने की मांग की गई है । तथा विक्रय पत्रों की फोटो प्रतियाँ एवं लिखित बहस भी पेश की गई। जीवप्रा के वकील को क्लेम प्रार्थना पत्र व लिखित बहस की प्रति दी गई ।

क्रं·सं·7 मुकदमा नं·71/88 ख·नं·66

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख·नं·66 रकबा 1बीघा 17बिस्वा ~~ग्रा=मैथिलश~~ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में श्री मैथिलीशरण पुत्र भंवर लाल ब्राह्मण सा·देह,जयपुर के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अंतर्गत खातेदार को दिनांक 9·4·91 को तामील कुनिन्दा व रजिस्टर्ड ए·डी· द्वारा नोटिस जारी किए गए । तामील कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के परिवार के व्यस्क सदस्य को नोटिस तामील कराया गया।

डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार बाहर रहता है । तत्पश्चात् दिनांक 7·5·91 को नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से धारा 9 एवं 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया । बावजूद सूचना के खातेदार अनुपस्थित रहा । जविप्रा के अभिभाषक का कथन है कि खातेदार को सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं । अतः एकतरफा की कार्यवाही अमल में लाई जावे । हम जविप्रा के अभिभाषक के कथन से सहमत है । अतः खातेदार श्री मैथिलीशरण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी थी ।

क्रं०सं०:8 मुकदमा नं·72/88,74/88 खा·नं·73 रकबा 26बीघा 2बिस्वा मय हिस्सा 1/2 एवं खा·नं·71 में रकबा 1बीघा हि० 1/3 कुल रकबा 13बीघा 7½ बिस्वा:

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में भूमि खा·नं·73 रकबा 26बीघा 2बिस्वाश्री रविन्द्र सिंह पुत्र हजूरा सिंह निहाल कौर बेवा हजूरा सिंह कौम जाट सा·देह 1/2,अलाउद्दीन अहमद पुत्र अमीनुद्दीन अहमद 1/2 नवाब लुहारू ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में इनके नाम दर्ज है । भूमि खा·नं· 71 रकबा 1बीघा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में सरदार हरबंश सिंह पुत्र कुन्दा सिंह,जगदेव सिंह पुत्र सतवन्त सिंह 1/3,रविन्द्र सिंह पुत्र हजूरा सिंह, निहाल कौर पत्नी हजूरा सिंह 1/3,अलाउद्दीन अहमद पुत्र अमीनुद्दीन अहमद 1/3 सा·देह के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अंतर्गत खातेदारान/हितदारान को दिनांक 9·4·91 को नोटिस तामील कुनिन्दा व रजिस्टर्ड ए·डी· द्वारा तामील कराये जाने हेतु जारी किए गए थे । तामील कुनिन्दा की हलफिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान के परिवार के व्यस्क सदस्य को तामील कराया गया । डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार प्राप्तकर्ता बाहर गया हुआ है । तत्पश्चात् दिनांक 7·5·1991 को धारा 9 एवं 10 के नोटिस दैनिक नवज्योति एवं नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन कराया गया ।

श्री मनदीप सिंह,अभिभाषक ने श्रीमती निहाल कौर की ओर से 17·6·91 को क्लेम प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी एक प्रति जविप्रा के अभिभाषक को दी गयी क्लेम प्रार्थना पत्र में मुआवजा राशि के बारे में निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि में खा·नं·73 रकबा 26बीघा 2बिस्वा में से हि· 1/2 व खा·नं·71 रकबा 1बीघा में से हि· 1/3 कुल भूमि का रकबा 13बीघा 7½ बिस्वा अधोहस्ताक्षरकर्ता

अ॰ क॰

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

196

की है । तथा भूमि के मुआवजे की राशि 260/-रू.प्रति वर्गगज की मांग की गयी है :-

1. भूमि ख.नं.73 रकबा 26बीघा 2बिस्वा में से हिस्सा 1/2 व ख.नं.71 हिस्सा 1/3 कुल रकबा 13बीघा साढे सात बिस्वा का मूल्य	63,11,500.00
2. ~~बोरिंग~~ कुआ ख.नं.73 में 1/2हिस्सा का मूल्य	1,40,000.00
3. वाटर टैंक का 1/2 हिस्सा	10,000.00
4. अण्डर ग्राउण्ड पाईप लाईन का मूल्य	~~00000000~~ 9,410.00
5. मिट्टी का डोला का मूल्य	15,000.00
6. कूपे पूले का मूल्य	30,000.00
7. भूमि को समतल कराने का व्यय	20,000.00
8. होदी 4 नग 3×3×3 गहरी मय कापरपाल 2000×4 का मूल्य	8,000.00
9. नीबू के 316 पेड का मुआवजा	11,69,200.00
10. बेर के 35 पेड का मुआवजा	84,000.00
11. पीपल 1 पेड	1,000.00
12. नीम 1 पेड का मुआवजा	1,000.00
कुल योग:-	77,99,110.00

प्रार्थी केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार दिनांक 7 जुलाई,88 से अवार्ड की तिथि तक 12प्रतिशत वार्षिक दर से भूमि का मुआवजा राशि पर अतिरिक्त राशि,धारा 23(2) के अंतर्गत भूमि की कीमत पर ~~अति~~ 30प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति चार्ज तथा धारा 28 एवं 34 के अनुसार 9 प्रतिशत एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात 15प्रतिशत ब्याज भुगतान तिथि तक पाने का अधिकारी है । प्रार्थी को व्यवसाय करने हेतु दुकान एवं आवासीय आवास हेतु 1500 व.ग.भूखण्ड रिजर्व प्राईस पर आवंटन किया जावे ।

जयपुर विकास प्राधिकरणके अभिभाषक श्री के.पी.मिश्रा ने उपरोक्त ख.नं.66 के * सभी वादों में लिखित अभिलेख प्रस्तुत न कर मौखिक रूप से कहा है कि खातेदारान/ हितदारान द्वारा क्लेम प्रार्थना पत्र में जो मुआवजे राशि की मांग की गयी है वह बहुत अधिक है और उसमें जो आपत्तियां उठाई गयी है वह\आपत्तियां नियमानुसार धारा 4 के नोटिफिकेशन के बाद एवं धारा 5 ए की आपत्तियों की सुनवाई की निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करनी चाहिए थी । उपरोक्त खातेदार/हितदारान भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर का तखमीना किसी भी रजिस्टर्ड वेल्यूवर से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत नहीं

*खातेदार के अतिरिक्त

(margin: ac07; stamp: कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी जयपुर विकास योजनाएँ जयपुर)

किया गया है । तथा मनमाने तौर पर उक्त खातेदारों द्वारा क्लेम पेश किये गये है। खातेदार भूमि के विक्रय पत्र जो पेश किये गये है वह किसी भी तरह से खातेदार के हक में नहीं है क्योंकि 29 सितम्बर 1988 के विक्रय पत्र में भूमि का बेयान 33,000/- रु० बताया गया है। ये बेयान उक्त भूमि के छोटे से भाग का है और कृषि उपयोग के लिये क्रय किया जाना प्रतीत नहीं होता + अन्य रजिस्ट्रीयॉं वर्ष 1988 के बाद की है जो मान्य नहीं है तथा जो भूमि अवाप्त की जा रही उसकी राशि 28000/- रुपये प्रति बीघा की दर से अधिक नहीं है । दावेदारान/हितधारान द्वारा लिखित बहस जो पेश की उसका लिखित अभिलेख प्रस्तुत ना कर जविप्रा के वकील ने कहा कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नियमानुसार की गई है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम में यह स्पष्ट है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही को अनिवार्य अवाप्ति में माना गया है। तथा अन्य बिन्दु कानूनी है। उपरोक्त दावेदारान/हितदारान द्वारा जो भूमि आवासीय हेतु और व्यवसाय के लिये दुकान की जो मॉग की गई है वह अस्वीकार है क्योंकि पृथ्वीराज नगर योजना पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा । अभिभाषक श्री मनदीप सिंह द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड की नामान्तकरण, जमाबन्दी ,रजिस्ट्री की सत्य प्रतिलिपि के आधार पर निम्न को हितदारी व्यक्ति मानते है। भूमि खसरा नम्बर 73 अलाउद्दीन अहमद पुत्र अमीनुद्दीन अहमद की 1/2 भूमि नामान्तकरण संख्या 73 के द्वारा श्रीमति निहाल कौर बेवा हजूरा सिंह के नाम पर हस्तान्तरण हुई । अत: हम श्रीमति निहाल कौर बेवा हजूरा सिंह को हितदारी व्यक्ति मानते है परन्तु अवार्ड में से मुआवजा राशि राजस्व सम्बन्धित मूल दस्तावेजात आज दिनांक पेश करने पर ही देय होगी । इसी प्रकार ख०नं० 59 का रकबा 24 बीघा 5 बिस्वा भूमि नामान्तकरण संख्या 117-118 दिनांक 30-8-88 के द्वारा सम्पूर्ण भूमि अलाउदीन अहमद खॉ पुत्र अमीनुद्दीन अहमद खॉ ने सरदार हरवंश सिंह पुत्र सरदार कुन्डा सिंह, सरदार जगदेव सिंह पुत्र सरदार संतवत सिंह को हस्तान्तरित कर गयी अत: हम इनको हितदार व्यक्ति तो मानते है है परन्तु अवार्ड में से मुआवजे की राशि आ दिनांक राजस्व रेकार्ड की असल प्रतियॉं पेश करने पर ही देय होगी । तथा खनं ·71 रकबा 1 बीघा में से अलाउदीन अहमद पुत्र अमीनुद्दीन अहमद ने अपने हिस्से की 1/3 भूमि नामान्तकरण संख्या 117-118 दिनांक 30·8·88 के द्वारा श्रीमति निहाल कौर के पक्ष में हस्तान्तरण की । अत: हम श्रीमति निहाल कौर को हितधारी व्यक्ति तो मानते है परन्तु अवार्ड में से मुआवजा राशि आ दिनांक मालिकाना हक व राजस्व सम्बन्धी समस्त दस्तावेजात की असल प्रतियॉं पेश करने पर देय होगी ।

इन प्रकरणो में खातेदारान/हितदारान को अवार्ड में से मुआवजे की राशि निम्नानुसार देय होगी ।

क्रम.सं0.	मु0.नं0.	ख.नं0.	रकबा बी. बि.	नाम खातेदार
1.	74/88	69/1	14-00	व सरदार मनदीप सिंह पुत्र हजूरासिंह जाति जाट सा. देह
2.	74/88	69/2	13-06	श्रीमति निहाल कौर पत्नि हजूरासिंह व सरदार रविन्द्रसिंह पुत्र हजूरासिंह जाति सिक्ख सा. देह
3.		73	26-02	सरदार रविन्द्रसिंह पुत्र हजूरासिंह कौम जाट सा. देह, निहाल कौर [illegible] बेवा हजूरासिंह हि. 1/2, अलाउदीन अहमद पुत्र अमीनुदीन अहमद हि. 1/2 का नामान्तरकरण संख्या 73 के द्वारा श्रीमति निहाल कौर बेवा हजूरा सिंह के नाम हुआ हि. 1/2
4.	71/88	63/2	14-04	सरदार हरनेक सिंह पुत्र मस्तान सिंह कौम सिक्ख निवासी गौरिया
5.	71/88	63/1	13-17	सरदार इकबाल सिंह पुत्र नूसिंह सिक्ख
6.	74/88	72	00-11	रविन्द्रसिंह पुत्र व हजूरासिंह, निहाल कौर पत्नि हजूरासिंह हि. 1/2, इकबाल सिंह पुत्र नूसिंह हि. 1/4
7.	71/88	59	24-05	अल्लाउद्दीन अहमद खां पुत्र अमीनुद्दीन अहमद खाँ हि. 57/97 में अपना सम्पूर्ण हिस्से की भूमि नामान्तकरण संख्या 117-118 दिनांक 30-8-88 द्वारा सरदार हरबंश सिंह पुत्र सरदार कुन्डा सिंह, सरदार जगदेव सिंह पुत्र सरदार सतवंत सिंह सिक्ख को हस्तान्तरण की ।
8.	72/88	60	00-11	" " "
	""	61	01-08	" " "
	""	62	00-11	" " "
	""	59/302	02-05	" " "
9.	74/88	70	01-01	सरदार हरबंश सिंह पुत्र कुन्डा सिंह हि. 1/2, जगदेव सिंह पुत्र सतवंत सिंह हि. 1/2, रविन्द्र सिंह पुत्र हजूरा सिंह, निहाल कौर पत्नी हजूरा सिंह हि. 1/2 सा0. देह.
10	72/88	71	01-00	सरदार हरबंश सिंह पुत्र कुन्डा सिंह, जगदेव सिंहपुत्र सतवंत सिंह 1/3 रविन्द्र सिंह पुत्र हजूरा सिंह, निहाल कौर पत्नी हजूरा सिंह 1/3, अलाउद्दीन अहमद पुत्र अमीनुदीन अहमद हि. 1/3 ने अपने हिस्से की भूमि श्रीमती निहाल कौर को नामान्तकरण सं. 117-118 दिनांक 30-8-88 के द्वारा हस्तान्तरण की.
11.	71/88	66	01-17	मैथिलीशरण पुत्र भँवर लाल सा0. देह

...20

158

क्र.सं.	मु0संख्या	ख.नं.	रकबा बी. बि.	नाम खातेदार
12	78	68	29-02	श्री नारायण पुत्र श्योचन्द 1/2 राधेश्याम ,मोहनलाल,ग्यारसी राम,लालाराम पुत्रान गोविन्द राम 1/2 अहिर ता0. देह .

मुकदमा नं. 72 खसरा नं. 68 रकबा 29 बीघा 02 बिस्वा

धारा 6 के गजट नो टिफिकेशन में भूमि ख.नं. 68 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में श्री नारायण पुत्र श्योचन्द 1/2, राधेश्याम, मोहनलाल, ग्यारसी राम, र लालाराम पि0 गोविन्दराम 1/2 जाति अहिर ता.देह के नाम दर्ज है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एंव 10 के अन्तर्गत दावेदारान/हितदारान को दिनांक 29-4-91 को तामील कुनिन्दा व रजि0 ए0डी0 द्वारा तामील कराये जाने हेतु जारी किये गये । तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार दावेदारान/हितदारान के परिवार के वयस्क सदस्य को नोटिस तामील कराया गया। डाक घर की रिपोर्ट के अनुसार दावेदारान/हितदारान ने नोटिस लेने से इन्कार किया जो शामिल मिसल है। तत्पश्चात दिनांक 7-5-1991 को नव ज्योति व नव भारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से दावेदारान/हितदारान को धारा 9 एंव 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया। दावेदारान/हितदारान को नोटिस तामील के बावजूद उपस्थित नहीं हुये । अतः दावेदारान/हितदारान के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमात में सार्वजनिक नोटिस भी तामील कुनिन्दा द्वारा संबंधित तहसील , पंचायत समिति, नोटिस बोर्ड ग्राम पंचायत व सरपंच को दिये गये व चस्पा करवाये गये जो दिनांक 29.4.91 को जारी किये गये ।

9e4

मुआवजा निर्धारण :-
==============

जहां तक पृथ्वी राज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय ....

.... 21

विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प·6(15)नविआ/87 दिनांक 1·1·89 द्वारा मुआवजा की राशि निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजा की राशि का निर्धारण नहीं किया । इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 दिनांक 11-2-91 के द्वारा शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर तथा आयुक्त जविप्रा एवं सचिव जविप्रा को निवेदन भी किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करा ली जावे । इसके उपरान्त समय-समय पर आयोजित मिटिंग्स में भी मुआवजा निर्धारण के लिए निवेदन किया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है ।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार को बुलाकर नेगोशियेशन नहीं किया गया है ।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर जो निर्णय कृषि भूमि का मुआवजा निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किया है उनमें कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन वर्ष 7·7·88 को हुआ था इसलिए विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिपेक्ष में 7 जुलाई 1988 को विभिन्न उप पंजीयकों के यहां पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों को रजिस्ट्रेशन की क्या दर थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है ।

खसरा नं· 66 व 68 के अतिरिक्त जहां तक उपरोक्त वादों के खातेदारों के मुआवजे निर्धारण का प्रश्न है खातेदार द्वारा भूमि के मुआवजे की राशि बिना किसी आधार के तथा मनमाने तौर पर चाही है तथा ना ही किसी रजिस्टर्ड वेल्यूवर से स्ट्रेक्चर का तखमीना प्रमाणित नहीं कराया गया है । जविप्रा द्वारा भूमि ख·नं· 62 पर बने स्ट्रेक्चर का मुआवजा राशि 62,298/-रू·प्रमाणित कर भेजे गए हैं उसका भुगतान खातेदार को किया जाता है तो जविप्रा को कोई आपत्ति नहीं है तथा ख·नं·70 पर स्थित स्ट्रेक्चर का मुआवजा 59,903/-रू· का तखमीना प्रमाणित होकर प्रस्तुत हुआ है । यह राशि खातेदार/हितधार को मुआवजा राशि के रूप में दिये जाने की घोषणा की जाती है तो जविप्रा को कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि के हितधारी/खातेदार को भूमि के मुआवजे की राशि 24,000/-रू·प्रति बीघा

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

-----2|

160

-22-

दी जाती है तो जविप्रा को कोई आपत्ति नहीं है तथा अन्य खातेदारों के स्ट्रेक्चर आदि जविप्रा से तकनीकी रूप से अनुमोदित तखमीने प्राप्त होने पर विचार करके नियमानुसार निर्धारण कर दिया जावे । हम जविप्रा के अभिभाषक के कथन से सहमत है । जहाँ तक ख०नं० 66 व 68 के खातेदारान को मुआवजा राशि का प्रश्न है उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही होने के कारण मुआवजा राशि की मांग का प्रश्न ही नहीं उठता

लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार इस संबंध में जविप्रा जिसके लिए भूमि अवाप्त की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया जविप्रा के सचिव ने पत्र क्रमांक:टी·डी·आर·/91/336 दिनांक 5·6·91 द्वारा इस संबंध में सूचित किया है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय ग्राम गोकुलपुरा में 20,000/-रू·प्रति प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था इसलिए जहाँ तक इनके पक्ष का सम्बन्ध है यह दर उचित है ।

हमने इस संबंध में उप पंजीयक एवं तहसीलदार तहसील जयपुर के यहा से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी । तहसीलदार,जविप्रा,प्रथम, ने अपने यू·ओ·नोट दिनांक 8·5·91 द्वारा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है ।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आसपास की भूमि का मुआवजा राशि 24,000/-रू·प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये थे जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है । जविप्रा के अभिभाषक ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया कि यदि मुआवजा राशि 24,000/-रू·प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जविप्रा को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आसपास के क्षेत्र में 24,000/-रू·प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये है ।

अत: इस मामले में भी इस भूमि का मुआवजा राशि 24,000/-रू·प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं एवं हम यह भी मानते है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अंतर्गत अवार्ड पारित करने के लिए 2 वर्ष की समयावधि नियत है ।

जहाँ तक पेड़-पौधे,कुए,सड़के एवं भूमि पर बने स्ट्रेक्चर का प्रश्न है उपरोक्त वाद पत्रों में खातेदारान/हितदारान द्वारा कोई तखमीना रजिस्टर्ड वेल्यूवर से प्रमाणित कराकर पेश नहीं किया गया है । जविप्रा द्वारा ...

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

भूमि खा॰नं॰ 62 ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में स्थित भूमि पर स्ट्रेक्चर का मुआवजा राशि 62,298/-रू॰ एवं भूमि खा॰नं॰70 में बने स्ट्रेक्चर का मुआवजा58,903/-रू तकनीकी रूप से अनुमोदित होकर पेश किए गए है । ऐसी स्थिति में स्ट्रेक्चर के मुआवजे का निर्धारण किया जाता है तथा अन्य खातेदारों/हितदारान की भूमियों के तकमीने (स्ट्रेक्चर)आदि जविप्रा से तकनीकी रूप से अनुमोदित होकर प्राप्त होने पर विचार करके नियमानुसार निर्धारण किया जावेगा । हम उक्त भूमि के मुआवजा का निर्धारण 24,000/-रू॰प्रति बीघा की दर से करते हैं । उक्त लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक संबंधी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जावेगा । मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट"ए" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1-ए)एवं 23(2)के अंतर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30प्रतिशत सोलेशियम एवं 12प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी जिसका निर्धारण परिशिष्ट"ए" में मुआवजे के साथ दर्शाया गया है।

अतिरिक्त निदेशक(प्रथम)एवं सक्षम अधिकारी,नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुलन सीमा में सम्मिलित है एवं अल्सर अधिनियम 1976 से प्रभावित है लेकिन इन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि अल्सर अधिनियम की धारा 10(3)की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अंतर्गत पारित किये जा रहे है ।

अतः यह अवार्ड आज दिनांक 25.7.91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा रहा है ।

संलग्न:परिशिष्ट"ए"गणना तालिका

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर ।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प-6(15)नाविआ/8 पार्ट दिनांक 31-7-91 के द्वारा अवार्ड अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ। आज दिनांक 31-7-91 को अवार्ड सर इजलास घोषित किया जाता है एवं शामिल मिसल किया जाता है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं
जयपुर

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

परिशिष्ट "ब" गणना तालिका ग्राम- गोकुलपुरा तहसील जयपुर

क्र.सं.	मुकदमा नं.	खातेदार/हिस्सेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा बी-बि	भूमि की कीमत 24,000/- प्रति बीघा की दर से	भूमि की मुआवजा राशि	स्ट्रक्चर के मुआवजा राशि	12% अति. राशि	सोलेशियम 30% राशि	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	74/88	सरदार मनदीप सिंह पुत्र हजूरासिंह जाति जाट सा. देह	69/1	14-00	"	3,36,000/-	-	1,00,800/-	1,23,077/-	5,59,877/-
2.	74/88	श्रीमति निहाल कौर पत्नि हजूरा सिंह व सरदार रविन्द्रसिंह पुत्र हजूरा सिंह जाति सिक्ख सा. देह	69/2	13-06	"	3,19,000/-	-	95,700/-	1,16,850/-	5,31,550/-
3.	74	सरदार रविन्द्रसिंह पुत्र हजूरा सिंह कौम जाट सा. देह, निहाल कौर बेवा हजूरासिंह हि. 1/2 अलाउदीन अहमद पुत्र अमीनुदीन अहमद हि. 1/2का नामान्तरकरण संख्या 73 के द्वारा श्रीमति निहाल कौर बेवा हजूरा सिंह के नाम हुआ हि. 1/2	73	26-02	"	6,26,400/-	-	1,87,920/-	2,29,450/-	10,43,770/-
4.	71/88	सरदार हरनेक सिंह पुत्र मस्तानसिंह कौम सिक्ख निवासी गोरिया	63/2	14-04	"	3,40,800	-	1,02,240/-	1,24,835/-	5,67,875/-
5.	71/88	सरदार इकबाल सिंह पुत्र इसिंह सिक्ख	63/1	13-17	"	3,32,400	-	99,720/-	1,21,758/-	5,53,878/-
6.	74/88	रविन्द्रसिंह पुत्र हजूरासिंह, निहाल कौर पत्नि हजूरासिंह हि. 1/2, इकबाल सिंह पुत्र इसिंह हि. 1/4	72	00-11	"	13,200/-	-	3,960/-	4,835/-	21,995/-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

.......2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7.	71/88 72/88	अलाउद्दीन अहमद खां पु. अमीनुदीन अहमद खां हि. 57/97में अपना सम्पूर्ण हिस्से की भूमि नामान्तकरण संख्या 117-118दिनांक 30.8.88 द्वारा सरदार हरबंश सिंह पुत्र सरदार कुन्दा सिंह, सरदार जगदेव सिंह पु. सरदार संतवंत सिंह सिक्ख को हस्तान्तरण की ।	59 60 61 62 59/302	24-05 00-11 01-08 00-11 02-05 29-00	24,000/-	6,96,000 ~~11,76,000/-~~	62,298/-	2,77,765/- ~~3,71,489/-~~	2,27,469/- ~~4,83,599/-~~	12,63,552/- ~~20,63,376/-~~
8.	74/88	सरदार हरबंश सिंह पुत्र कुन्दा सिंह1/2 जगदेव सिंह पुत्र संतवत सिंह 1/2, रविन्द्र सिंह पुत्र बहुरा सिंह, निहालकौर पत्नी बहुरा सिंह 1/2सा.देह.	70	01-01	"	25,200/-	59,903/-	25,531/-	31,173/-	1,41,807/-
9.	72/88	सरदार हरबंश सिंह पुत्र कुन्दा सिंह जगदेव सिंह पुत्रसतवंत सिंह 1/3रविन्द्र सिंह पुत्र बहुरा सिंह, निहालकौर पत्नी बहुरा सिंह 1/3, अलाउद्दीन अहमद पुत्र अमीनुदीन अहमद1/3ने अपने हिस्से की भूमि श्रीमती निहाल कौर को नामान्तकरण सं. 117-118 दिनांक 30-8-88के द्वारा हस्तान्तरण की.	71	01-00	"	24,000/-	-	7,200/-	8,791/-	39,991/-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	71/88	प्रेमीनारायण पुत्र भँवर लाल सा• देह•	66	01-17	24,000/-	44,400/-	—	13,320/-	16,264/-	73,984/-
11.	72/88	श्री नारायण पुत्र ज्योतेन्द1/2 राधे श्याम, मोहनलाल, ग्यारसी राम, लाला राम, पुत्रान गोविन्द राम1/2अविद सा• देह•	68	29-02	"	6,98,400/-	—	2,09,520/-	2,55,824/-	11,63,744/-

नोट:- 1. सोलेशियम अतिरिक्त कालम नं0 7 पर मुआवजे राशि पर देय होगी ।

2. अतिरिक्त राशि 12 प्रतिशत की गणना धारा 4 (1) का गजट दिनांक 7-7-88 से 25-7-91 तक की गई है ।

3. [illegible]

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
नगर विकास प्राधिकारी, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण भवन, जयपुर